15/12/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 20/1/26 को पेश हो।

15/12/25

20/1/26 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश नहीं। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 18/2/26 को पेश हो।

18/2/26 पत्रावली पेश हुई। वादीया एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादिया एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादिया एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादिया द्वारा पुनः न्यायालय में एकबार आवाज लगाई गई। समय 5-50 PM हो चुका है। वादिया एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादिया एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 85 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

18/2/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा